न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 48 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 132
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.7......2025

1. रामलाल पुत्र गिरधर जाति ब्राह्मण निवासी बरौलीछार तहसील नदबई (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र सियाराम जाति ब्राह्मण निवासी बरौलीछार तहसील नदबई (भरतपुर)
2. श्यामसुन्दर पुत्र सियाराम जाति ब्राह्मण निवासी बरौलीछार तहसील नदबई (भरतपुर)
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री लखन भातरा एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री प्रेम चंद शर्मा एड. (अप्रार्थी की ओर से)

:: निर्णय:: प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि खाता संख्या 438 के खसरा नंबर 1027 रकबा 0.65, 1028 रकबा 0.43, आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15, 1712 रकबा 0.42, 1922 रकबा 0.41, 477 रकबा 1.10, 616 रकबा 0.18, 928 रकबा 0.20, 972 रकबा 0.21 वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई में स्थित

23/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है। नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

2. यह है कि उक्त विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर सायलान एवं गैरसायलान अपने-अपने हिस्से पर मनबट से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु अब सायलान एवं गैरसायलान के मध्य डौर मेड लगान आदि पर आपस में तनाजा बना रहता है। इसलिए सायल वादी द्वारा उक्त वादपत्र न्यायायल में विवादित आराजी का कानूनी विभाजन कराये जाने हेतु पेश किया है।

3. जिसके कारण से अब सम्मिलित रूप से काश्त करना संभव ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उनके रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार नियमानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर अलग खाता लगान कायम करा पाने के अधिकारी हैं।

4. यह कि गैरसायलान ने दिनांक 25.05.2025 को वमुकाम ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई पर ऐलानिया धमकी दी है कि वह विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पर पुख्ता निर्माण करके रहेगें एवं काश्त में व्यवधान करेंगें व रहनवयमुन्तकिल कर देंगे व प्रार्थी को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर देंगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादी प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

23/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी पर कोई भी पुख्ता निर्माण आदि न करें व आराजी को रहनवय मुन्तकिल न करे। तथा वादी को वादी की आराजी से बेदखल न करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सायल के हक व हकूकों पर जवाल आये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणसंख्या 1 व 2 की ओर से श्री प्रेमचंद शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी के साथ एक खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. भी वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर में है। जो कि पूर्व में इन विवादित खसरा नम्बरान के साथ पुराने खाते मे दर्ज रिकॉर्ड था। जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार थे। उसी अनुरूप पूर्वजों के समय से ही करीब 50 साल पूर्व से ही आराजी मुतदाबिया व उसके साथ खसरा नं0 2298 का भी राजीखुशी सभी की सहमति से आपस में बंटवारा हो गया। सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर बंटवारा के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. जिसके पूर्व में खातेदार 1/2 हिस्से का प्रार्थी था। बाकी 1/2 हिस्से मे वाहिस्सा बराबर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 थे। लेकिन मनवट के आधार पर उक्त खसरा नं0 प्रार्थी के हिस्से में आया था जिसमें से 1/2 हिस्सा का बेचान प्रार्थी रामलाल ने करतारसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी

23/3/25
...अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर को उक्त खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. से 1/4 हिस्से का बेचान दिनांक 1.7.2020 को कर दिया है।जो सब रजिस्ट्रार नदबई कार्यालय में दर्ज है। व मुंशीलाल पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर को उक्त खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. से 1/4 हिस्से का बेचान दिनांक 03.07.2020 को कर दिया हैं। इस प्रकार प्रार्थी रामलाल ने उक्त खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई से उक्त दो वयनामाओं करतारसिंह व मुंशीलाल को कमशः 1/4, 1/4 हिस्से का कुल अपने 1/2 हिस्से का रजि0 वयनामा करा दिये। तथा केतागण को कब्जा दे दिया। व वादी रामलाल ने वयनामा के अलावा शेष रहे 1/2 हिस्से पर भी किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कब्जा करा दिया। और उसके बदले में हम अप्रार्थीगण को खसरा नं0 1922 रकवा 0.41 वाके ग्राम बरौलीछार सम्पूर्ण रकवा पर अपनी सहमति दे दी व कब्जा दे दिया। उसी अनुरूप हम अप्रार्थीगण खसरा नं0 1922 रकवा 0.41 सम्पूर्ण पर मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब प्रार्थी के मन में बदयंति आ गई है। अतः कब्जा अनुसार ही बंटवारा कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में खसरा नं0 1685 रकवा 0.15 व 1712 रकवा 0.42 जिनका पूर्वजों के समय से ही लगभग 50 साल पूर्व बंटवारा हो चुका है। उक्त दोनों खसरा नम्बरों में से प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने पूर्वजों के समय से ही लगभग 50 साल पूर्व से ही रोड की तरफ 1/2, 1/2 हिस्सा का बंटवारा मनवट के आधार पर कर रखा है तथा उक्त खसरा नं0 पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार शांति पूर्ण तरीके अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने अपने 1685 रकवा 0.15 हैक्टे. में से 1/2 हिस्सा पर मकान बना रखा है तथा अब अप्रार्थीगण खसरा नं0 1712 रकवा 0.42 हैक्टे. में से अपने 1/2 हिस्से पर मकान बनाना चाहते है।

23/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त कथन

यह है कि प्रार्थना पत्र की वर्णित मद संख्या 02 में वर्णित आराजी के अलावा पूर्व प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. था जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्से का व अप्रार्थी 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। प्रार्थी ने उक्त खसरा नं0 जो कि मनवट से उसके हक व हिस्से में आया था। जिसमें से प्रार्थी रामलाल ने 1/2 हिस्सा का बेचान करतार सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर को उक्त खसरा नं. 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. से 1/4 हिस्से का बेचान दिनांक 01.07.2020 को कर दिया जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय मेंद दर्ज है। व मुंशीलाल पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर को उक्त खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. से 1/4 हिस्से का बेचान दिनांक 03.07.2020 को कर दिया हैं। इस प्रकार प्रार्थी रामलाल ने उक्त खसरा नं0 2298 रकवा 0.73 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई से उक्त दो वयनामाओं करतारसिंह व मुंशीलाल को क्रमशः 1/4, 1/4 हिस्से का कुल अपने 1/2 हिस्से का रजि0 वयनामा करा दिये। तथा क्रेतागण को कब्जा दे दिया। व वादी रामलाल ने वयनामा के अलावा शेष रहे 1/2 हिस्से पर भी किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कब्जा करा दिया। और उसके बदले में हम अप्रार्थीगण को खसरा नं0 1922 रकवा 0.41 वाके ग्राम बरौलीछार सम्पूर्ण रकवा पर अपनी सहमति दे दी व कब्जा दे दिया। उसी अनुरूप हम अप्रार्थीगण खसरा नं0 1922 रकवा 0.41 सम्पूर्ण पर मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब प्रार्थी के मन में वदयंति आ गई है। अव वह प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नं0 1922 सम्पूर्ण में बोई गई ढैचा की फसल को बर्बाद कर उसमें से 1/2 हिस्से पर कब्जे करने की फिराक में है। जबकि उसे 1/2 हिस्से पर कब्जा करने का कोई

23/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने उक्त खसरा नं0 के आधे हिस्से के बदले में खसरा नं0 2298 सम्पूर्ण पर किसी दीगर व्यक्ति को व क्रेतागण को कब्जा दे दिया है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में खसरा नं0 1685 रकवा 0.15 व 1712 रकवा 0.42 जिनका पूर्वजों के समय से ही लगभग 50 साल पूर्व बंटवारा हो चुका है। उक्त दोनों खसरा नम्बरों में से प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने पूर्वजों के समय से ही लगभग 50 साल पूर्व से ही रोड की तरफ 1/2, 1/2 हिस्सा का बंटवारा मनवट के आधार पर कर रखा है तथा उक्त खसरा नं0 पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार शांति पूर्ण तरीके अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने अपने 1685 रकवा 0.15 हैक्टे. में से 1/2 हिस्सा पर मकान बना रखा है तथा अब अप्रार्थीगण खसरा नं0 1712 रकवा 0.42 हैक्टे. में से अपने 1/2 हिस्से पर मकान बनाना चाहते है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मिनजानिव अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खास खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :–प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी खाता संख्या 438 के खसरा नंबर 1027 रकबा 0.65, 1028 रकबा 0.43, आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15, 1712 रकबा 0.42, 1922 रकबा 0.41, 477 रकबा 1.10, 616 रकबा 0.18, 928

23/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

रकबा 0.20, 972 रकबा 0.21 वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी है उक्त खसरा नंबरान पर प्रार्थी 1/2 पर हिस्सेदार है एवं प्रतिवादी संख्या 1/4–1/4 हिस्से पर खातेदार है। संयुक्त खातेदारी की आराजी का बंटवारा होने तक विवादित आराजीयात के मैटर को सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में प्रतीत होता है। जिससे विवादित आराजीयात खुर्द बुर्द न हो। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण के पक्ष में निहित हैं।

2. **सुविधा सन्तुलन** :–प्रथम दृष्टया प्रकरण मामला प्रार्थी के हक में बखूवी साबित है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। क्योंकि कानूनी बंटवारा होने तक आराजी की स्थिति खुर्द–बुर्द होने से प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् विवादित आराजी खाता संख्या 438 के खसरा नंबर 1027 रकबा 0.65, 1028 रकबा 0.43, आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15, 1712 रकबा 0.42, 1922 रकबा 0.41, 477 रकबा 1.10, 616 रकबा 0.18, 928 रकबा 0.20, 972 रकबा 0.21 वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई पर उभयपक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी 'अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत् स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 438 के खसरा नंबर 1027 रकबा 0.65, 1028 रकबा 0.43, आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15, 1712 रकबा 0.42,

23/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

1922 रकबा 0.41, 477 रकबा 1.10, 616 रकबा 0.18, 928 रकबा 0.20, 972 रकबा 0.21 वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई पर उभयपक्षकारान को दावा के निस्तारण तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं कोई पुख्ता निर्माण कार्य न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है ।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.7.25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया।

23/7/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner